जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/palm/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 30 जून 2021

भाग-1

मी लॉर्ड!!!

जयपुर मे एक नहीं सैंकड़ों शराब की दुकाने है, जिनके 200 मीटर के अंदर अस्पताल,स्कूल और धार्मिक स्थल है!!!

आबकारी विभाग के अधिकारी ही कर रहे आबकारी नियम 75 का खुलेआम उल्लंघन!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

क्या है आबकारी नियम 75?

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है की किसी भी धार्मिक स्थल,स्कूल कॉलेज,अस्पताल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोली जाएगी|

परंतु जयपुर शहर मे एक नहीं सैंकड़ों शराब की दुकाने है जिनके 200 मीटर के दायरे मे धार्मिक स्थल,स्कूल कॉलेज,अस्पताल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी स्थित है|सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सारा खेल आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है|

वित्तीय वर्ष 2021-22 मे जयपुर मे खुल गयी 400 कम्पोजीट शराब की दुकाने,नयी आबकारी नीति है इसकी वजह

जैसा कि विदित है कि इस वित्तीय वर्ष मे राजस्थान सरकार द्वारा नयी आबकारी नीति अमल मे लायी गयी है,जिसके तहत राज्य की सभी देशी और अँग्रेजी शराब की दुकानों को कम्पोजीट कर दिया गया है अथार्त अब एक ही दुकान पर अँग्रेजी और देशी शराब क्रय बेची जा सकती है|

पिछले साल तक जयपुर शहर मे कुल स्वीकृत शराब की दुकाने कुल 405 थी,जिनमे 206 अँग्रेजी और 199 देशी शराब की दुकाने थी|देशी और अँग्रेजी शराब की लोकेशनों मे दिन रात का अंतर होता था,क्यूंकि अँग्रेजी शराब की दुकानों पर महंगी शराब बिकती है इसके लिए इसे शहर की प्रमुख सड़कों,चौराहों पर लगाई जाती है|जबकि देशी पीने वाले ग्राहक निम्न तबके से होते है अतः यह दुकाने छोटी बस्तियों मे सुनसान जगहों पर स्थित होती है|

परंतु इस साल आबकारी नीति मे परिवर्तन कर,इन सभी दुकानों को कम्पोजीट कर देने से, इन समस्त 404 दुकानों को शहर के प्रमुख मार्गों,चौराहों पर स्थापित करना शराब ठेकेदारों की मजबूरी बन गया है|क्यूंकि इस वित्तीय वर्ष मे शराब की दुकानों की नीलामी करने से शराब ठेकेदारों को आपसी स्पर्धा के चलते एक-एक शराब की दुकान करोड़ो रुपयों मे उठानी पड़ी है|जिसकी लागत निकालने के लिए हर ठेकेदार अपनी दुकान को शहर मे ऐसी जगह लगाना चाहता है यहाँ ट्रेफिक सुगम हो और ग्राहक की नजर आसानी से शराब की दुकान पर पड़ जाए|

लेकिन शराब ठेकेदारों की इस प्रतिस्पर्धा ने आबकारी नियमों और क़ानूनों को पूरी तरह ठेंगा बता दिया है|क्यूंकि जहां पर पिछले साल 206 शराब की दुकानों की लोकेशन पास करने मे ही आबकारी विभाग को पसीने आ जाते थे,वहीं इस साल यह मुसीबत दुगुनी हो गयी है|

मद्ध संयम नीति गयी गुइयाँ के खेत मे|

आपको मालूम होगा कि जहां आबकारी विभाग के पास शराब की बिक्री के अधिकार है वहीं दूसरी तरफ मद्ध संयम नीति की कढ़ाई से पालना करवाने का दारोमदार भी इसी विभाग के पास है|लेकिन तेरह हजार करोड़ के राजस्व की वसूली के सामने यह नीति धूल फाँकती नजर आती है|इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष नयी दुकानों की लोकेशन

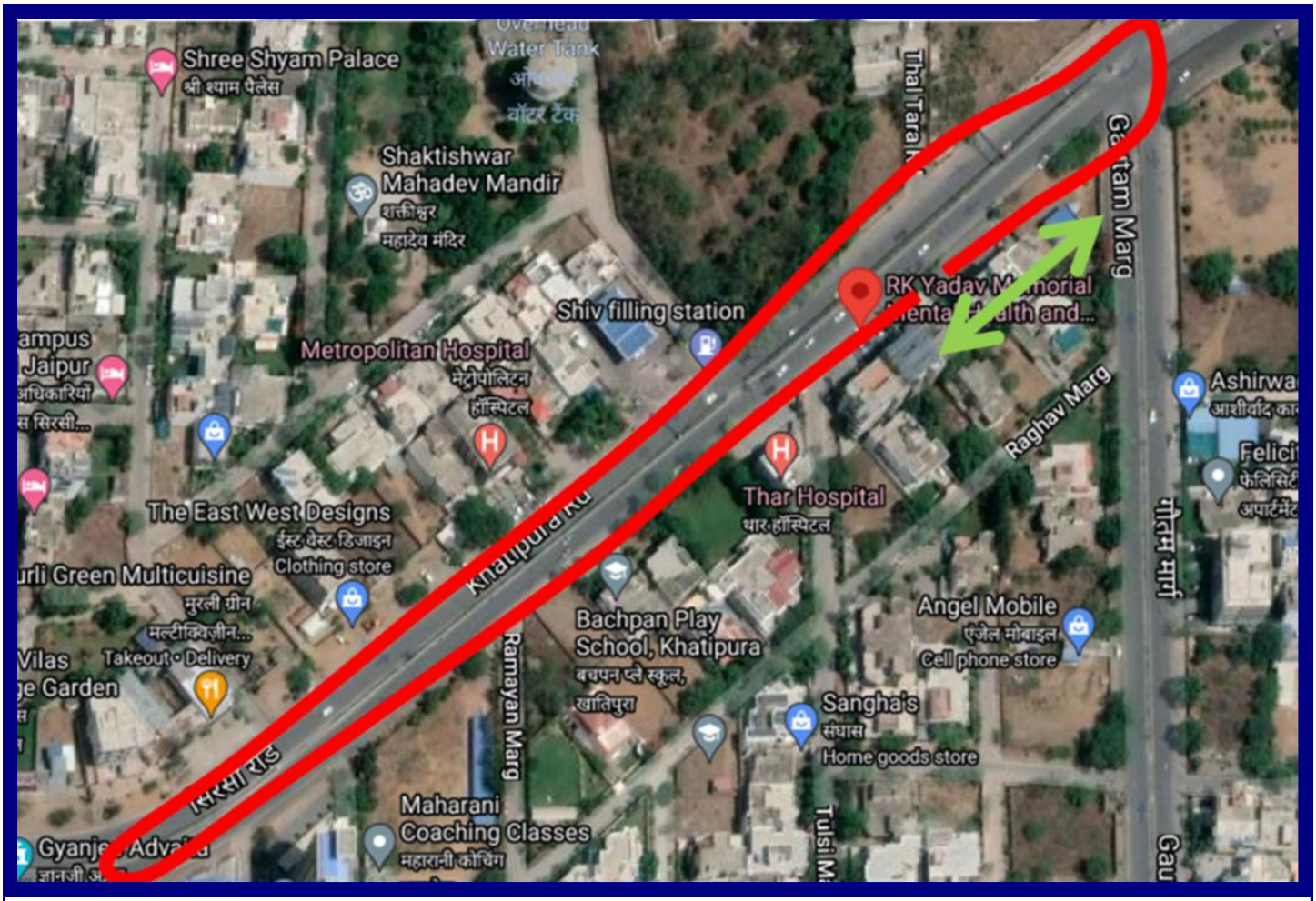

पास करने मे अस्पताल,स्कूल,धार्मिक स्थलों की पूर्णतया अनदेखी की गयी है|

शराब की दुकानों को बचाने के लिए खेला जाता है सुगम यातायात का खेल|

ऊपर बताए गए चित्र मे, हरे रंग से बताई गयी दूरी के अनुसार शराब की दुकान से अस्पताल की दूरी 200 मीटर से कम स्थित है लेकिन दूरी नापने के लिए आबकारी विभाग; सुगम यातायात का जो खेल खेलता है उसमे वह अस्पताल से सड़क-सड़क चल कर, निकटतम डिवाइडर/मोड से घूम कर वापस दुकान तक की दूरी को नापता है|जिसे हमने लाल रंग से बताया गया है|

चूंकि इस पूरे खेल को जिला आबकारी अधिकारी को बताकर खेला जाता है लिहाजा इस खेल मे आबकारी इंस्पेक्टर से लेकर जिला आबकारी अधिकारी तक शामिल होते है|अब यह तो आप लोग भली भांति जानते है कि यह पूरा खेल किसी गरीब आदमी की भलाई के लिए तो खेला नहीं जाता,लिहाजा शराब ठेकेदार द्वारा एक मोटी रकम इसके बदले अधिकारियों की जेब मे सरकायी जाती है|

सुगम यातायात का यह खेल आबकारी अधिकारियों के लिए तुरुप का इक्का है जिसे यह लगभग हर उस दुकान की लोकेशन पास करने के लिए करते है जिसके 200 मीटर मे अस्पताल,धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज होते है|राज्य मे ऐसी अनगिनत दुकाने है जिनके 200 मीटर के दायरे मे अस्पताल,स्कूल,धार्मिक स्थल मौजूद है लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की साँठ गांठ से बदस्तूर चल रहे है|

हाईकोर्ट ने पूछा, अस्पतालों व स्कूलों के पास शराब की दुकान कैसे खुल रही हैं

जयपुर | हाईकोर्ट ने शहर के सिरसी रोड पर अस्पतालों व स्कूलों के पास शराब की दुकान खोलने पर प्रमुख वित्त सचिव, आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदार से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि ये दुकानें कैसे खोली जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि यदि ये दुकान वैध प्रावधान के विपरीत जाकर खोली हैं तो इन्हें शिफ्ट करने पर भी विचार किया जाए। अवकाशकालीन जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह अंतरिम निर्देश जगदीश साहू व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड पर करीब डेढ़ सौ मीटर में एक नशा मुक्ति केन्द्र सहित चार अस्पताल और कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों का कोचिंग सेंटर है। जिसमें अधिकांश लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन फिर भी इन संस्थाओं के बीच में राज्य सरकार ने शराब ठेकेदार को लाइसेंस दे दिया है। जबकि नियमानुसार शैक्षणिक संस्थान व अस्पतालों के पास शराब की बिक्री नहीं हो सकती है। याचिका में शराब खरीद का ब्यौरा पेश कर बताया कि शराब ठेकेदार तय समय के बाद भी शराब बेच रहा है। प्रार्थियों ने इस संबंध में सीएम सहित आबकारी विभाग के अन्य अफसरों को भी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंचा शराब की दुकान का मामला,न्यायालय ने दुकान हटाने या सुसंगत जवाब प्रस्तुत करने के दिये अन्तरिम आदेश|

सवाल यह है कि आम आदमी को तो विभाग के अधिकारी सुगम यातायात का खेल समझा देते है परंतु क्या माननीय उच्च न्यायालय को भी यह खेल समझने की हिमाकत करेंगे?

बहरहाल माननीय न्यायालय द्वारा हनुमान विस्तार,सिरसी रोड पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र,कोचिंग संस्थान के पास शराब की दुकान खोलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वित्त सचिव,आबकारी आयुक्त,जिला आबकारी अधिकारी औरे शराब ठेकेदार से जवाब मांगा गया है साथ ही यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक यदि यह दुकान वैध प्रावधानों के विपरीत खोली गयी है तो इसे शिफ्ट किया जाए|

क्या शहर मे चल रही इस तरीके की सैंकड़ों शराब की दुकानों को हटाया जाएगा?

चूंकि अब यह मामला माननीय न्यायालय मे विचारधीन है इसलिए जरूरी है कि माननीय न्यायालय के संज्ञान मे इस तरीके की चल रही सभी दुकानों के मामले लाये जाए|देखना यह है कि माननीय न्यायालय द्वारा इस गंभीर विषय पर जांच करवाई जाती है अथवा नहीं |

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

खातीपुरा तिराहे,सिरसी रोड,वैशालीनगर,स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल स्थित है|

प्रकरण-2

खातीपुरा तिराहे,सिरसी रोड,वैशालीनगर,स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर जीवनरक्षा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थित है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

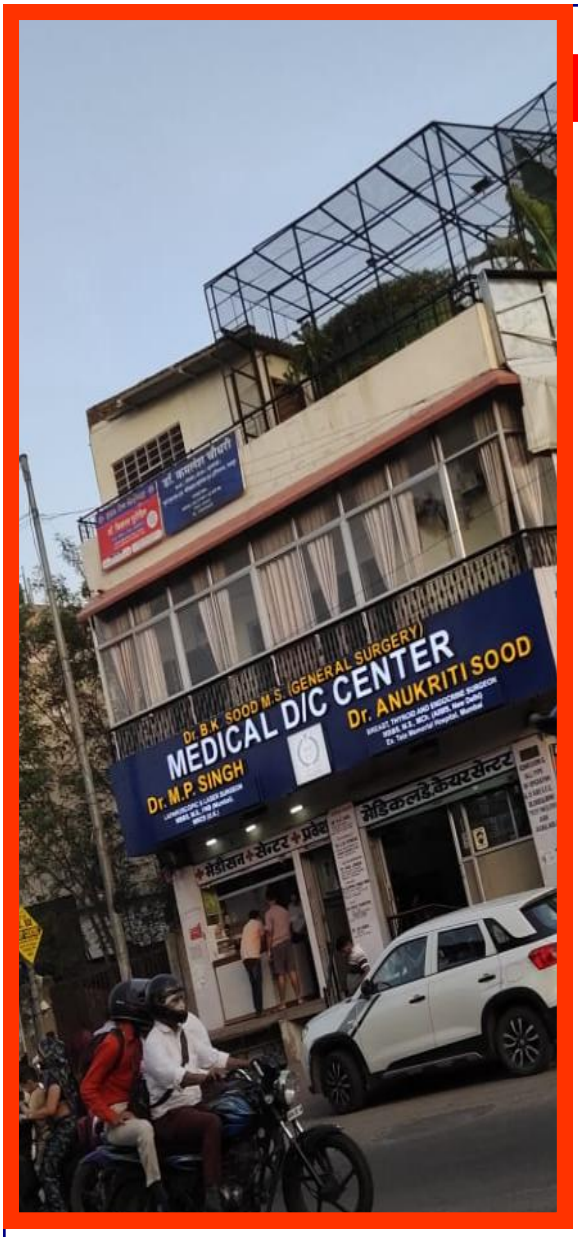

प्रकरण-3

मेडिकल सेंटर,कालवाड रोड ,झोटवाड़ा स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर हनुमानजी का मंदिर और मेडिकल सेंटर स्थित है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

प्रकरण-4

झोटवाड़ा ,खातीपुरा रोड स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर रेनबो स्कूल स्थित है|

प्रकरण-5

श्याम नगर,पंडित टीएन मिश्र मार्ग तिराहे पर स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर ट्री हाउस स्कूल स्थित है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

गोपालपुरा बाईपास,जिसे कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है,इस रोड पर तकरीबन 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित है,बावजूद इसके इस रोड पर सैंकड़ों शराब की दुकाने और बार संचालित है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

प्रकरण-10

गांधीपथ,अर्पित नगर चित्रकूट स्थित शराब की दुकान,जिसके 200 मीटर के अंदर किलकारी नामक स्कूल स्थित है|

प्रकरण-11

प्रकरण-12

गांधी पथ, चित्रकूट स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के 200 मीटर के दायरे मे दो शराब की दुकान स्थित है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पुरानी चुंगी,अजमेर रोड पर स्थित अहमद शाह बाबा की दरगाह से 200 मीटर के अंदर खोली शराब की दूकान "त्यागी वाइन्स" ,इस दुकान के बारे मे शिकायत करने पर आबकारी विभाग का कहना है कि इस दरगाह का नाम उनके पास उपलब्ध सूची मे नहीं है|जबकि यह दरगाह कई सालों से यहा मौजूद है और इसके कारण ही एलिवेटेट रोड को डाइवर्ट किया गया था|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भूखंड संख्या 175,वैभव नगर,200 फिट बाईपास रोड,वैशालीनगर पर चल रही शराब की दुकान जिसके नजदीक ही कच्ची बस्ती स्थित है,इसके बावजूद आबकारी अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलीभगत कर,यहाँ शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गयी|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com